न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 04/2022

प्रार्थी		अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार जायल	बनाम	भंवरलाल पुत्र जयराम जाति जाट निवासी कठोती तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

दिनांक 28.02.2025

आदेश

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कठौती के साबिक खसरा नम्बर 814/2, 868/2, 869, 869/2, 870/2, 916, 918, 925, 926, 928, 928/2, 929, 943, 947/2 रकबा 470.09 बीघा किस्म गैर मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा भूमि के हाल खसरा नम्बर जिनके हाल खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा बने है। मिसल बंदोबस्त संवत 2000 मे यह भूमि गै.मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा दर्ज थी। तहसीलदार जायल द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/97/331 दिनांक 20.10.1997 खसरा नम्बर 1535/2198 रकबा 0.10 किस्म गैर मुमकिन अंगोर भूमि का आंवटन जयराम पुत्र उदाराम के नाम कर दिया। तत्पश्चात उक्त आंवटन की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1036 जयराम पुत्र उदाराम के नाम भरा गया तथा उक्त नामान्तरकरण में किस्म गैर मुमकिन अंगौर को गैर मुमकिन बाडा में परिवर्तन कर दिया। तत्पश्चात खसरा नम्बर 1535/2198 रकबा 0.10 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 2578 भंवरलाल पुत्र जयराम के नाम भरा गया। मौजा कठौती के खसरा नम्बर 1535/2198 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन बाडा को पूर्ववत सम्वत् 2000 मे गैर मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा भूमि के पश्चात जो कालांतर मे अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, को निरस्त करवाए जाने को लेकर प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से श्री भवंरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ मौजा कठोती की सम्वत् 2000 की खतौनी की प्रमाणित प्रति, गिरदावरी सम्वत 2010–13, 2014–17, 2020–21, 2053–56, 2057–60 की प्रमाणित प्रति, मौजा कठोती के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, मौजा कठौती के नामान्तरकरण संख्या 1036 व 2578 की प्रमाणित प्रति, मौजा कठौती के जमाबंदी सम्वत 2073 से 76 की फोटोप्रति, तहसीलदार जायल के पत्र क्रमांक 1377 दिनांक 23.12.21 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी द्वारा मौजा कठौती के खसरा नम्बर 1535/2015, 1535/2036, 1535/2037, 1535/2038, 1535/2040, 1535/2041, 1535/2094, 1535/2096, 1535/2097, 1535/2098, 1535/2099, 1535/2100, 1535/2101, 1535/2102, 1535/2103, 1535/2246, 1535/2198, 1535/1961, 1535/2246, 1535/2094–95, 1535/2037 संवत् 2073 से 76 की फोटोप्रति की गई है।

(3) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

28/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

(3)(1) मौजा कठोती तहसील जायल व जिला नागौर के साबिक खसरा नम्बर 814/2, 868/2, 869, 869/2, 870/2, 916, 918, 925, 926, 928, 928/2, 929, 943, 947/2 रकबा 470.09 बीघा भूमि रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2006 में सरकारी मिल्कियत में दर्ज गै. मु. अंगोर/गोचर/नाडी/मंगरा किस्म थी।

(3)(2) हाल बन्दोबस्त सम्वत 2020 में साबिक खसरा नम्बर 814/2, 868/2, 869, 869/2, 870/2, 916, 918, 925, 926, 928, 928/2, 929, 943, 947/2 रकबा 470.09 बीघा का नया खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा की कायम हुआ मगर किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर/गोचर/नाडी/मंगरा की बजाय गैर मुमकिन अंगोर दर्ज कर दी गई।

(3)(3) राजस्थान भू– राजस्व (कृषि भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमिया इन नियमों के अधीन आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमिया है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गै.मु. अंगोर होने से ऐसी किस्म की भूमियां के आंवटन पर राज काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबंधित है।

(3)(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम 1970 के प्रावधान आज्ञापक है और आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार जायल ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/97/331 दिनांक 20.10.1997 के द्वारा पूर्णतया विधि विरूद्व आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया विधि विरूद्व पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है।

(3)(5) साबिक रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म परिवर्तन का कोई अधिकार हाल बन्दोबस्त अधिकारियों को नहीं रहता है तथा तहसीलदार जायल हाल बन्दोबस्त में दर्ज भूमि की किस्म को परिवर्तन किये जाने में समक्ष नहीं है इस प्रकार तहसीलदार जायल ने अनाधिकारपूर्वक मौजा कठोती के खसरा नम्बर 1535 की किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर से अपने आदेश क्रमांक राजस्व/97/331 दिनांक 20.10.1997 से गै.मु. बाडा में परिवर्तन कर दिया। तहसीलदार जायल का आदेश दिनांक 20.10.1997 क्षेत्राधिकार विहीन होने से ऐसा आदेश शून्य प्रभावी होने से खारिज योग्य है।

(3)(6) अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जयराम पुत्र उदाराम जाति जाट के पक्ष में जारी आवंटन आदेश के फलस्वरूप राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) में इस आशय का अंकन जरिये नामांतरकरण संख्या 1037 एवं 2578 मौजा कठोती के हुआ। मौजा कठौती का नामान्तरकरण संख्या 1036 एवं 2578 शून्य आधार पर दायर होने से इस नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश दिनांक 21.05.98 निरस्त योग्य है।

(3)(7) माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 का बिन्दु संख्या 1 इस प्रकार है– All land shown as frainge channels like nalla, river, tributaries etc As on 15-08-1947 should be declared as Govt.land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relavant act and rules must be amended accordingly.' प्रश्नगत भूमि की किस्म आधार तिथि दिनांक 15.08.1947 को गै.मु. अंगोर/गोचर/नाडी/मंगरा थी। इसलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल पब्लिक इण्टरेण्ट रिट नम्बर 1536/3 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में ऐसी भूमि के संबंध में किये गये समस्त आंवटन/नियमन एवं बेचान अवैध है और ऐसी भूमि को पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित की जानी है।

(3)(8)–अप्रार्थी संख्या 1 जिसे यह प्रश्नगत भूमि सर्वप्रथम आंवटित होकर उसे खातेदारी अधिकार दिये गये थे। अप्रार्थी संख्या 1 को उपर विवेचित कथनानुसार प्राप्त अधिकार शून्य प्रभावी है। इसलिये शून्य प्रभावी अधिकारों से किया गया कोई बेचान भी शून्य है एवं ऐसे बेचान

अपर कलक्टर, नागौर

ग्रहिताओं को अपने क्रेता से अधिक कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते लिहाजा इस प्रश्नगत भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में क्रमशः जरिये नामान्तरकण संख्या 1036 एवं 2578 पर पारित तहसीलदार जायल के आदेश दिनांक 21.05.1998 भी शून्य करणीय है। प्रत्युतर तहसीलदार जायल से राजस्व रिकार्ड से कायम हुए इन्द्राज शून्य आधारों पर है जिस कृपया खारिज कर भूमि पूर्ववत दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

(3)(9) प्रकरण में जारी प्रश्नगत आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार जायल द्वारा अवैध एवं अनाधिकारपूर्वक आदेश/निर्णय प्रदान किये है। ऐसे आदेश/निर्णय का नियमानुसार परीक्षण करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

(4) वकील अप्रार्थी ने राजकीय वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि–

(4)(1) अप्रार्थी को इस बात की जानकरी नहीं है कि खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा के पुराने खसरा नम्बर क्या थे व उक्त खसरा नम्बर 1535 में से अप्रार्थी के पिता को जो भूमि बाडे के लिए नियमन की थी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का पूर्व के समय से कब्जा चला आ रहा था व उपरोक्त भूमि कभी किसी नाडी या तालाब का अंगौर नहीं रही, जमाबंदी का इन्द्राज गलत है।

(4)(2)– वादग्रस्त रकबा आधा बीघा भूमि पर अप्रार्थी के पिता का पुराना कब्जा था, मौके पर जमीन बाडे के रूप में उपयोग में आती थी इसलिए तहसीलदार जायल ने अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हक में दिनांक 20.10.1997 को उक्त भूमि नियमन करके राजस्व रेकर्ड में सही खातेदार दर्ज किया गया था और तब से सन 2014 तक अप्रार्थी के पिता जयराम व उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा उपयोग उपभोग है व इस बाडे के चारों तरफ चारदीवारी की हुई है व पशुओ के चारा फूस डालने के लिए ठांव व रहने के लिए मकान व पानी का होद बनाया हुआ है।

(4)(3)– राजस्व अधिकारियों को भूमि की आवश्यकतानुसार किस्म परिवर्तन करने का अधिकार है और तहसीलदार जायल ने राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अप्रार्थी के पिता के हक में पुराने कब्जासुद बाडे का नियमन/आवंटन सही किया था।

(4)(4)–अप्रार्थी के पिता जयराम पुत्र उदाराम के हक में उनके बाडें के रूप में काम आने वाली आधा बिघा भूमि का नियमन सही किया गया था और अप्रार्थी के पिता के नाम म्यूटेशन नम्बर 1036 सही स्वीकार किया था तथा उनके निधन के पश्चात अप्रार्थी के नाम से म्यूटेशन नम्बर 2578 दिनांक 09.06.2016 को सही स्वीकार किया है।

(4)(5)–इस प्रकरण में अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हक मे नियमन की गयी भूमि कभी नाडी व तालाब या अंगौर नहीं रही है। जिस नियमन आदेश के खिलाफ न्यायालय हाजा में रेफरेंस पेश किया है उक्त नियमन/आवंटन आदेश की न तो प्रमाणित प्रति साथ पेश की है न ही कोई फोटोप्रति पेश की है एवं न ही ऐसा कोई नियमन/आंवटन आदेश से संबंधित प्रति कोई प्रत्रावली पर ही है।

(4)(6)–अप्रार्थी व उसके पिता के हक में नियमन के पश्चात स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 1036 व 2578 को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। पिछले 25 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थी के पिता व बाद में अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा रहता चला आया है चारों तरफ पक्की दीवार बनाई हुई है पशुओ के चारा डालने के लिए ठांव बनाये हुए है अप्रार्थी के परिवार के निवास हेतु मकान बना रखा है इसलिए न्याय के सामान्य सिद्वांतों के अनुसार भी उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

28/1/22

अपर कलक्टर, नागौर

(4)(7)– तहसीलदार जायल ने न्यायालय हाजा में रेफरेंस का आवेदन गलत पेश किया है तथा तहसीलदार जायल ने ही उक्त भूमि को काबिल नियमन मान कर अप्रार्थी के पिता के हक मे नियमन किया था और उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थी के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किया है इसलिए तहसीलदार जायल उक्त भूमि को अंगौर भूमि बता कर रेफरेंस पेश करने से विबंधित है।

(4)(8)– तहसीलदार जयल ने नियमन के 25 वर्ष पश्चात रेफरेंस का आवेदन पेश किया है जिसका कोई समुचित कारण नहीं है। इसके अलावा अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय सन 2009 मे पारित हुआ था उक्त निर्णय हुए 19 वर्ष हो चुके है इसलिए तहसीलदार का रेफरेंस का आवेदन पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(9)–उक्त खसरा नम्बर 1535 में से अप्रार्थी के हक में जिस स्थान को बाडे के लिए नियमन किया हुआ है तथा जहां बाडा बना हुआ है उसके चारों तरफ रहवासी मकान व अन्य व्यक्तियों के बाडे व रहवासी मकान है उक्त मौहल्ले के निवासियों के आने जाने के लिए ग्राम पंचायत कठौती ने पक्की सडक बना रखी है व उक्त खसरा में से राजकीय माध्यमिक विद्यालय कठौती के लिए रकबा 2.0234 हैक्टयर भूमि खेल मैदान के लिए आंवटित की हुई है जिसके खसरा नम्बर 1535/2246 है इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के हक मे भी बाडों के लिए उक्त खसरा में से भूमि का नियमन किया हुआ है जिनके नाम इस प्रकार है भंवरलाल पुत्र मोडाराम मेघवाल, रामदीन पुत्र रामनाथ जाट, हीरालाल पुत्र सुरताराम जाट, रामनिवास पुत्र सुरताराम जाट, देवाराम पुत्र मोहनराम वगैरा, केवलराम पुत्र रामदेव कुम्हार वगैरा, रामपाल पुत्र अर्जुनराम कुम्हार, गोपालराम पुत्र झुमरराम कुम्हार वगैरा, नाथीदेवी पत्नी सांवताराम नायक वगैरा, मोहनाराम पुत्र भुराराम नायक, रामचन्द्र पुत्र मेखाराम मेघवाल, शंकरलाल पुत्र पुसाराम जाट, सोहनराम पुत्र सुजाराम कुम्हार, गेनी पत्नी हनुमानराम मेघवाल वगैरा, केसरदेवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल वगैरा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपाल पुत्र अर्जुनराम कुम्हार इनके अलावा उक्त खसरा में से 0.5747 गेर मुमकिन आबादी के लिए भूमि आंवटित की हुई जिसके खसरा नम्बर 1535/1961 है।

(4)(10)– उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अप्रार्थी के विरूद्व आपसी पार्टीबाजी व अनबन की वजह से तहसीलदार व जिला प्रशासन के पास उसे तंग परेशान करने के लिए झुठी शिकायते की है जबकि विधिनुसार एक समान व्यक्तियों के विरूद्व एक समान कार्यवाही होनी चाहिए व सभी पर समान कानूनी प्रावधान लागू होने चाहिए। इसलिये रेफरेन्स निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1996(3) पेज 487 से 489, आरबीजे 1996(3) पेज 199 से 211 तक नजीरे पेश की।

(5) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार –

(5)(1)– मौजा कठोती के साबिक खसरा नम्बर 814/2, 868/2, 869, 869/2, 870/2, 916, 918, 925, 926, 928, 928/2, 929, 943, 947/2 रकबा 470.09 बीघा किस्म गैर मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा भूमि के हाल खसरा नम्बर जिनके हाल खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा बने है। जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

(5)(2)– प्रश्नगत भूमि की किस्म सम्वत् 2000 को गै.मु. अंगौर होने की पुष्टि खतोनी मौजा कठौती संवत 2000 से प्रकट है।

(5)(3)– मौजा कठोती की उक्त जायगा सम्वत् 2010–13, 2014–17, 2020–21, 2053–56 के अनुसार गै.मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा दर्ज थी। खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा की भूमि में से तहसीलदार जायल द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/97/331 दिनांक 20.10.1997 खसरा नम्बर 1535/2198 रकबा 0.10 किस्म गैर मुमकिन अंगोर भूमि का

अपर कलक्टर, नागौर

आंवटन/नियमन जयराम पुत्र उदाराम के नाम कर दिया। तत्पश्चात उक्त आंवटन/नियमन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1036 जयराम पुत्र उदाराम के नाम भरा गया तथा तत्पश्चात जयराम पुत्र उदाराम की फौत होने पर उसके वारिसान उक्त अप्रार्थी के नाम नामन्तरकरण संख्या 2578 भरा गया। मौजा कठौती के खसरा नम्बर 1535/2198 की खतौनी सम्वत् 2057–60 में उक्त किस्म को गैर मुमकिन अंगौर से गैर मुमकिन बाडा में परिवर्तन कर दिया, जबकि ऐसा करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था।

(5)(4)– गोचर, पायतन, अंगौर आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन / आंवटन से प्रतिबंधित भूमियां है तथा इस प्रकार की भूमियो के खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये जा सकते है।

(5)(5)– माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/03 मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे प्रदत निर्देशो के अनुसार केचमेंट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाये जाने के आदेश है।

(6) उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है है तथा जिस आदेश से जमाबंदी में खातेदारी अधिकार सृजित हुए उक्त आदेश विधि विरूद्व होना प्रतीत होता है। मौजा कठोती के गत खसरा नम्बर 1535 रकबा 470.09 बीघा किस्म गै.मु. अंगौर/गौचर/नाडी/मंगरा भूमि से बने एक खसरा नम्बर 1535/2198 किस्म गैर मुमकिन अंगोर का नियमन तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक राजस्व/97/331 दिनांक 20.10.1997 द्वारा अप्रार्थी के पिता के नाम आंवटन/नियमन व इसके आधार पर अप्रार्थी के पिता जयराम पुत्र उदाराम के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1036 तत्पश्चात उक्त जायगा का अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 2578 का अंकन आया है, से संबधित आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अंगौर के रूप मे पूर्ववत स्थिति बहाल करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/1/20

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर